


<p>तारीख हुकम</p>	<p>प्रकरण सं. 31/2022 प्राचीन पत्र 14(1) हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उन्वान- हरिलिंद (जौह) मुख्य भोजी बनाम कालूराम अन्न</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम के तारीख में जारी हुए</p>
-----------------------	---	---

प्राचीन द्वारा जारी प्रदीप कुमार क्रियवर्गीय एड.
प्रस्तुत प्राचीन पत्र क्रॉडर 22 रूल 38 व 49 सी.सी.ए.
क्रिया जाता है पत्रावली वास्तु संशोधित दाखल पत्र
करने दिनांक 6-12-24 को पत्र दे।



अति. जिला कलक्टर
दोसा

6-12-24

अधिकृता प्राचीन उपस्थित। अधिकृता प्राचीन आय
संशोधित दाखल पत्र क्रिया गया। साथ ही निवेदन किया
गया कि प्राचीन उक्त उन्वानी प्रकरण में आरोप
चलाना चाहे है तथा खारिज करवाना चाहे है।
अधिकृता प्राचीन आय Not press किया गया।
अधिकृता प्राचीन आय Not press करने पर
आवेदन क्रॉडर दिनांक 13-1-2022 बहक कालूराम
पुत्र रामराम जोशी निवासी ग्राम कालवान दक्षिण सिमरप
के विरुद्ध प्रस्तुत प्राचीन पत्र 14(1) आवेदन नियम
खारिज किया जाता है नियम की प्रती अधीनस्थ
आयालय उपखण्ड अधिकारी सिमरप को अधीनस्थ
आयालय के मूल अभिलेख सहित निम्नलिखित
पत्रावली के सल अग्रार की जाकर नम्बर से करके
दिए बाद पूर्ण प्रविष्ट अभिलेखागार की जाकर
आज दिनांक 06-12-2024 को मेरे डाय बुलेट
में सुनाया गया।

Not Press
दिनांक
6/12/2024




(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर
दोसा (राज.)

